फर्द अहकाम

GCMS - 2022/75

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं, जयपुर

बजरंग सिंह **बनाम** कैलाश वगै०

मुकदमा संख्या / वर्ष 12 / 2022

प्रा. पत्र 151 CPC

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	13/05/22	कमल कुमार जैन वकील ने प्रा.पत्र 151 जाब्ता दीवानी पेश किया। प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर राधेश्याम वकील उपस्थित। नकल दिलायी जावे। पत्रावली वास्ते जवाब/ बहस आगामी दिनांक 16/5/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)	
	16/5/22	वकीलों द्वारा आज कण्डोलैस / कार्य स्थगित रखे जाने से पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 20/5/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
	20/5/22	वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 व उनकी ओर से अधिवक्ता अनुपस्थित। बहस प्रा. पत्र प्रार्थी अधिवक्ता सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kheta
Date: 2022.12.19 12:11:52 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूं

गोरधन बनाम शिशपाल वगै0

मुकदमा संख्या :–12/2022

दिनांक	आज्ञा – पत्र
20.05.2022	

प्रार्थना पत्र तहत धारा 151 सीपीसी
बाबत विरासत के आधार पर फौती नामान्तकरण खोले जाने, हकत्याग करने व कृषि ऋण लिए जाने की अनुमति दिये जाने हेतु आदेश

दिनांकः– 20.05.2022

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि उनवानी प्रकरण वाद सं0 64/2016 व अस्थायी निषेधाज्ञा सं0 47/2016 उनवानी बजरंगसिंह बनाम कैलाशचन्द वगै0 का न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किया गया था जिसमें प्रार्थना पत्र सं0 47/2016 में दिनांक 19.10.2016 को न्यायालय द्वारा एकपक्षीय स्थगन आदेश इस आशय का जारी किया गया कि वाके ग्राम स्याउ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के खसरा नं0 312 व 313 की रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति जवाब आने तक कायम रखेंगे तथा दिनांक 27.06.2018 को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट ग्राम धोबलाई में न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 19.10.2016 को ता फैसला मूल वाद कन्फर्म कर दी गई। उक्त स्थगन आज दिनांक तक प्रभावी है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि विवादग्रस्त खसरा नं0 312 के खातेदार प्रार्थी सं0 2 की माता फूल कंवर पत्नि माधोसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम स्याउ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का स्वर्गवास दिनांक 09.06.2015 को हो चुका है, जिसका विरासत का नामान्तकरण व हक त्याग पत्र व के0सी0सी0 ऋण करवाने की सख्त आवश्यकता है। उक्त भूमि के खातेदार फूल कंवर का विरासत का नामान्तकरण नहीं खुलवाने से सरकारी सहायता का लाभ नहीं मिल रहा है, इस कारण न्यायहित में विरासत का नामान्तकरण खुलवाने, हक त्याग करवाने व के0सी0सी0 लोन लेने की छूट प्रदान किया जाना न्यायोचित होगा।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्राथीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 27.06.2018 में प्रार्थी को विरासत का नामान्तकरण खुलवाने, हक त्याग व के0सी0सी0 लोन लेने की छूट प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

वकील प्रार्थीगण उपस्थित व वकील अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा अपने हिस्से की भूमि पर अपनी माता फूल कंवर पत्नि माधोसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम स्याउ, तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.12.19 12:11:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

चौमूं जिला जयपुर का स्वर्गवास हो जाने के उपरान्त विरासत का नामान्तकरण खुलवाने का निवेदन किया गया है तथा साथ ही हकत्याग करवाने व अपनी खातेदारी भूमि पर के0सी0सी0 लोन लेने की अनुमति चाही गई है। प्रार्थीगण द्वारा साक्ष्य के रुप में अपनी माता फूल कंवर पत्नि माधोसिंह, जाति राजपूत के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। फौती नामान्तकरण खुलवाने, हकत्याग करवाने व अपनी खातेदारी भूमि पर के0सी0सी0 लोन लेने से वाद की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 सी0पी0सी0 का स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 151 सी0पी0सी0 का स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को विरासत का नामान्तकरण, हक त्याग करवाने व अपनी खातेदारी भूमि पर के0सी0सी0 लोन लेने की हद तक इस न्यायालय द्वारा जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 27.06.2018 में छूट प्रदान की जाती है। शेष मूल आदेश यथावत रहेगा।

आदेश आज दिनांक 20.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.12.19 12:11:52 IST
Reason: SelfAttested